



118864 - ईद या इस्तिस्का की नमाज़ में इमाम के साथ तशहूद पाने वाले आदमी का हुक्म

प्रश्न

जो व्यक्ति ईदैन (ईदलु फित्र और ईदुल अज्हा) की नमाज़, और इस्तिस्का (अर्थात् अल्लाह तआला से वर्षा मांगने) की नमाज़ में अन्य नमाज़ियों के साथ केवल तशहूद को पाता है उस का क्या हुक्म है ? क्या वह दो रक़अत नमाज़ पढ़ेगा और उसी तरह करेगा जिस तरह इमाम ने किया है, अथवा वह क्या करेगा ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

"जिस ने ईदैन (ईदलु फित्र और ईदुल अज्हा) की नमाज़, या इस्तिस्का (अर्थात् अल्लाह तआला से वर्षामांगने) की नमाज़ में इमाम के साथ केवल तशहूद को पाया, तो वह इमाम के सलाम फेरने के बाद दो रक़अत नमाज़ पढ़ेगा जिन में वह उसी तरह तकबीर, क़िराअत, रूकूअ और सज्दे करेगा जिस तरह कि इमाम ने किया था।

और अल्लाह तआल ही तौफीक देने वाला (शक्ति का स्रोत) है, तथा अल्लाह तआला हमारे ईशदूत मुहम्मद, आप की संतान और साथियों पर अपनी दया और शांति अवतरित करे।" (समाप्त हुआ)

शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़, शैख अब्दुरज़ज़ाक़ अफीफी, शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान।